

आप निम्नानुसार मूल प्रमाण पत्र एवं फ्रोटोस्टेट प्रतियाँ लेकर उपरोक्त महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित तिथियों में उपस्थित हों।

मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच के बाद ही ई-मिट्र पर निर्धारित तिथियों में शुल्क जमा होगा।

आपके द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं कराने पर आपका प्रवेश अवसर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(अ) निम्नांकित प्रमाणपत्र आपको अनिवार्यतः प्रस्तुत करने हैं:-

- |  |  |
|--|--|
| 1. टी.सी. (मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र )                       | 2. सी.सी. (मूल चरित्र प्रमाण पत्र )                                      |
| 3. अर्हकारी परीक्षा (12 वीं /समकक्ष कक्षा) की मूल अंक तालिका | 4. 10 वीं परीक्षा की मूल अंक तालिका / प्रमाणपत्र (जन्मतिथि प्रमाणन हेतु) |

(ब) निम्नांकित प्रमाण पत्रों में से जो आप पर लागू होते हों, प्रस्तुत करने हैं:-

- |  |  |
|--|--|
| 5. आरक्षण का लाभ लेने के लिए मूल जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/ सहरिया/ OBC & MBC(नौन क्रीमीलेयरा) /EWS (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) हेतु आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र) | 6. यदि आवेदन में बोनस लाभ का विकल्प भरा हो तो उसका मूल प्रमाण पत्र   |
| 7. मूल निवास प्रमाण पत्र (केवल राजस्थान राज्य के बाहर के स्थानों से अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण राजस्थान के निवासी के लिए लागू)                                    | 8. अंतराल प्रमाण पत्र (यदि आप पुरुष हैं तथा XII कक्षा/ समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक या दो वर्ष का अंतराल रहा हो) व यदि X वीं तथा XI / पॉलिटेक्निक कोर्स में प्रवेश के मध्य अंतराल हो तो उस अंतराल सम्बन्धी प्रमाण पत्र ) |
| 9. निःशक्तजन (दिव्यांग) (PH) होने का प्रमाण पत्र / अभिभावक/पति की मृत्यु कोविड - 19 से होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र   | 10. अभिभावक के रक्षा कार्मिक होने का प्रमाण पत्र (यदि आपने आवेदन के समय इस विकल्प को चुना है)  |
| 11. कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र/आसाम का मूल निवास प्रमाण पत्र  | 12. आय सम्बन्धित प्रमाण पत्र   |
| 13. अभिभावक के मृत राज्य कर्मचारी / कॉलेज शिक्षा राज्य कर्मचारी (सेवारत / सेवानिवृत् ) होने का प्रमाण पत्र   | 14. अन्य प्रमाण पत्र जो आप पर लागू हों   |

नोट: यदि OBC / MBC वर्ग के अभ्यर्थियों के OBC / MBC प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक पुराने हैं तो वे विभागीय वेबसाइट के Admission Page पर उपलब्ध अनुछेद "ङ"(Annexure 'ङ') डाउनलोड कर उसे भरकर प्रस्तुत करें। स्मरण रहे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र के अनुसार OBC /

MBC प्रमाणपत्र एक वर्ष हेतु तथा अनुछेद "ङ"(Annexure 'ङ') के साथ तीन वर्ष तक मान्य है।